न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	रामनिवास बनाम अखिलेश कुमार मु.नं. 97/21 T.E.	
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष ने प्रा.पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.2.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
25.2.25	पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01.4.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
01-4/25	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6-5-25 को पेश हो।	
6.5.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 27.5.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
27.5.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी –जारी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज रामनिवास बनाम अखिलेश कुमार मु.नं. 97/2024 T.I.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए

अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
97/2021	25.03.2021	27.05.2025

बउनवान

1. रामनिवास पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. अखिलेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल, निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. अशोक पुत्र कजोडी, निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. गिरीष कुमार पुत्र मोहनलाल, निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. नवीन कुमार पुत्र मदनलाल मोदी, निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री धर्मसिंह राजपूत।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण – श्री सुरेश चन्द।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अभिभाषक श्री धर्मसिंह राजपूत ने इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 165/1 रकबा 1.14 हैक्टे., 170/2 रकबा 0.05 हैक्टे., 173/1 रकबा 0.24 हैक्टे., 179/2 रकबा 0.15 हैक्टे., 180/2 रकबा 0.04 हैक्टे., कुल किता 5 कुल रकबा 1.62 हैक्टे. वाकेग्राम सरावली तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है, जिससे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नही है। आराजी खसरा सं. 183 रकबा 0.20 हैक्टे., 184 रकबा 0.20 हैक्टे., 185 रकबा 0.19 हैक्टे. 186 रकबा 0.06 हैक्टे., 187/751 रकबा 0.63, 188/752 रकबा 0.09 हैक्टे. 189/753 रकबा 0.23 हैक्टे., कुल किता 7 कुल रकबा 1.60 हैक्टे. वाकेग्राम सरावली तहसील मण्डावर में स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण/अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के अलावा मुकेश कुमार पुत्र राधेश्याम एवं विनोद कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण का भी हिस्सा था, जिस हिस्से को भी अप्रार्थी सं. 2 लगा 4 द्वारा खरीद लिया जिसका अभी नामान्तकरण नहीं खुला है। विवादित आराजीयात के लगवाँ अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा सं. 189/753 रकबा 0.23 हैक्टे. स्थित है जिसकी सीमा को बढ़ाते हुए अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी के खसरा सं. 179/2 एवं 180/2 मे दबाते हुए कब्जा अभी कर लिया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके के अनुसार दोनों खातों की अलग–अलग सीमा है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

खातेदारी की आराजी जो कि उन्होंने जबरन अपनी आराजी में दबाकर मिला ली है, उसे छोड़ने को तैयार नही है जबकि प्रार्थी ने उक्त भूमि की पैमाईश करवाने की कई बार अप्रार्थीगण से कहा गया है लेकिन वो किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नही है। प्रार्थी को खातेदारी की आराजी के रकबा के अप्रार्थीगण के रकबा में मिले होने तथा उसके द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने से प्रार्थी के भारी क्षति हो रही है तथा प्रार्थी के बार–बार निवेदन करने तथा उसकी खातेदारी की भूमि जो कि उनके हिस्से में दवा रखी है, को छोडने का कई बार निवेदन किये जाने के बाद भी अप्रार्थीगण छोडने को तैयार नही है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। दिनांक 22.03.21 को प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी पर था कि अचानक वहीं पर अप्रार्थीगण एवं उनके प्रतिनिधि आये और प्रार्थी से डोल मेड को लेकर विवाद करने लगे। तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण एवं उनके प्रतिनिधियों से तहसील कार्यालय में चलकर उक्त भूमि की पैमाइश तथा पैमाइश अनुसार अपनी–अपनी भूमि के सीमा चिन्ह स्थापित करवाने को कहा जिस पर अप्रार्थीगण एकदम से नाराज हो गये और कहने लगे कि हम कोई पैमाईश नहीं करवायेगे। हमारा तो जहाँ तक कब्जा आज है, वही होकर डौल मेढ करवायेगे तथा तुम्हे कोई जमीन नहीं देगे। यदि अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना लाजिम आया है। विनाय दावा 22.03.21 को ग्राम सरावली तहसील मण्डावर जिला दौसा मे अप्रार्थीगण एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आराजीयात की पैमाईश करवाने एवं प्रार्थी की दबी भूमि को छोडने से स्पष्ट इंकार कर दिये जाने से बमुकाम सरावली तहसील मण्डावर में पैदा हुआ है। इसलिए दावा व प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अर्ज है कि दौराने दावा, अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा सं. 179/2, 180/2 की भूमि जो कि खसरा सं. 189/753 में दबी हुई है, इस कारण उक्त तीनों नम्बरों की भूमि मे किसी भी प्रकार का नया निर्माण नही करे तथा मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये तथा प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में व्यवधान पैदा नही करे, उक्त सभी कार्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से ही करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये किंतु उनके द्वारा न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी सं. 5 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 का जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार, ग्राम सरावली तहसील मण्डावर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र बेदखली तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, वादग्रस्त आराजीयात में बिना पैमाइश हुए, यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थीगण बिना पैमाइश हुए, यदि प्रार्थी की भूमि पर काबिज हो जाते हैं और मौके की स्थिति में बदलाव हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

6. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम सरावली तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आराजीयात खसरा सं. 179/2, 180/2, 189/753 के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें, राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे। प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार से व्यवधान नहीं करे और ना ही किसी अन्य से करावें। पत्रावली कैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 27.05.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)